



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1319/MP/7/2023-APCR

दिनांक: 11/07/2023

1. श्रीमती शीतला पटले

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला- छिंदवाड़ा,
कलेक्टर कार्यालय,
छिंदवाड़ा - 480001 (मध्य प्रदेश)
Email Id: dmchhindwara@nic.in
Tel. No: 07162-242302
Unique Code : 3Psmjfop


2. श्री विवेक अग्रवाल

पुलिस अधीक्षक,
जिला- छिंदवाड़ा,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
गणेश कॉलोनी,
छिंदवाड़ा - 480001 (मध्य प्रदेश)
Unique Code : Bu4e7kdt

विषय: प्रार्थी की भूमि गैर आदिवासी द्वारा छिनने का प्रयास करने के सम्बन्ध में श्रीमती रेखा धुर्वे एवं श्री बिजेलाल धुर्वे छिंदवाड़ा, पठारी, मध्य प्रदेश का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्रीमती रेखा धुर्वे एवं श्री बिजेलाल धुर्वे से दिनांक 15/06/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।


(अंकित कुमार सेन)
अनुसंधान अधिकारी
दूरभाष सं.: 24625826

ई-मेल: researchofficer-apcr@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थः

श्रीमती रेखा धुर्वे एवं बिजेलाल धुर्वे

मकान नंबर 47, गुमतारा, पठारी
जिला छिंदवाड़ा, - 480111, (मध्य प्रदेश)
am9856572@gmail.com
Mobile No: 8103995732